पत्र सं०–6 एस०एस०(6)11/2020–2250(A)

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–22/05/2025.

विषय– **चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु चतुर्थ किस्त की ₹ 3.085 करोड़ (तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 2.0567 करोड़ (दो करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 5.1417 करोड़ (पाँच करोड़ चौदह लाख सतरह हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु चतुर्थ किस्त की ₹ 3.085 करोड़ (तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 2.0567 करोड़ (दो करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 5.1417 करोड़ (पाँच करोड़ चौदह लाख सतरह हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या 6 एस०एस०(6)11/2020–2579, दिनांक–22.09.2020 द्वारा बिहार के लिए ''प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'' (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु केन्द्रांश **₹** 34.1834 करोड़ (चौतीस करोड़ अठारह लाख चौतीस हजार) तथा राज्यांश **₹** 22.7889 करोड़ (बाईस करोड़ अठहतर लाख नवासी हजार) अर्थात् कुल **₹** 56.9723 करोड़ (छप्पन करोड़ संतानवे लाख तेईस हजार) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त की गई ₹ 17.0917 करोड़ (सतरह करोड़ नौ लाख सतरह हजार) तथा राज्य सरकार के समानुपातिक राज्यांश राशि **₹** 11.39447 करोड़ (ग्यारह करोड़ उनचालिस लाख चौवालिस हजार सात सौ) अर्थात् कुल **₹** 28.48617 करोड़ (अठाईस करोड़ अड़तालिस

लाख इकसठ हजार सात सौ) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 के समापन के पश्चात् विभागीय आदेश संख्या 6 एस०एस०(6)11/2020–1571, दिनांक–01.07.2021 के द्वारा उक्त अवयवहृत राशि ₹ 17.0917 करोड केन्द्रांश तथा ₹ 11.39447 करोड़ राज्यांश अर्थात कुल ₹ 28.48617 करोड़ राशि का पुनर्वैधिकरण कर वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–27.09.2023 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त ₹ 8.54585 करोड़ (आठ करोड़ चौवन लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 5.6973 करोड़ (पाँच करोड़ उनहत्तर लाख तीहत्तर हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 14.24315 करोड़ (चौदह करोड़ चौबीस लाख इकतीस हजार पाँच सौ मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना कार्यान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–13.12.2024 तथा F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–17.01.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु तृतीय किस्त की ₹ 2.10 करोड़ (दो करोड़ दस लाख मात्र) केन्द्रांश राशि एस०एन०ए०–स्पर्श में विमुक्त मदर सैंक्शन (Mother Sanction) तथा इसके समानुपातिक ₹ 1.40 करोड़ (एक करोड़ चालीस लाख मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 3.50 करोड़ (तीन करोड़ पचास लाख मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना का क्रियान्वयन किया गया।

3. इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–28.04.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु चतुर्थ किस्त की ₹3.085 करोड़ (तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में एस०एन०ए०–स्पर्श प्रणाली में विमुक्त की गई है।

4. उपर्युक्त के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त ₹ 3.085 करोड़ (तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 2.0567 करोड़ (दो करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 5.1417 करोड़ (पाँच करोड़ चौदह लाख सतरह हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

5. इस व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष के तहत विकलन किया जायेगा :–

   (i). योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश राशि– मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष –0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405001010219 का विषय शीर्ष–0219.33.01 –सब्सिडी एवं सहायक अनुदान गैर वेतन 0219.31.06 मद में उपबंधित केन्द्रांश राशि से व्यय किया जाएगा तथा

   (ii). योजनान्तर्गत स्वीकृत राज्यांश राशि– मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0319 –नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री

मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405001010319 के विषय शीर्ष–0319.33.01 –सब्सिडी मद में प्राप्त बजटीय उपबंध तथा शेष आवश्यक राशि पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन से प्राप्त कर तथा सहायक अनुदान गैर वेतन 0319.31.06 मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जाएगा।

6. इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के लाभुकों को देय केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान (सब्सिडी) राशि का भुगतान क्रमशः विपत्र कोड– 02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01–सब्सिडी तथा विपत्र कोड–02–2405001010319 के विषय शीर्ष–0319.33.01–सब्सिडी मद में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित लिमिट राशि से किया जायेगा।

7. इसी तरह इस योजना के गैर लाभुक आधारित घटक के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का वहन क्रमशः विपत्र कोड 02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन तथा विपत्र कोड 02–2405001010319 के विषय शीर्ष–0319.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित लिमिट राशि से किया जायेगा।

8. योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

9. इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक म०यो०–17/2020–107, दिनांक–27 जनवरी, 2021, म०यो०–17/2020(खंड–I)–1337, दिनांक–8 जुलाई, 2022, म०यो०–17/2020(खंड–I)–527, दिनांक–30 मार्च, 2024 तथा म०यो०–17/2020(खंड–I)–267, दिनांक–15 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत तथा भविष्य में निर्गत होने वाले क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।

10. Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा–निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।

11. इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Tranfers) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी०एफ०एम०एस०–एस०एन०ए० स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई0एफ0एम0आई0एस0 (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई–कुबेर प्लेटफ़ॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।

12. Department of Expenditure, Govt. Of India के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में SNA SPARSH Platform of PFMS प्रणाली में विमुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि को केन्द एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH प्रणाली से सम्बन्धित निर्गत

दिशानिर्देश/अनुदेश के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।

13. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म० योजना–08/2021–313, दिनांक–02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनिकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

14. इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्य के ससमय उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा जिलों के मांग तथा उपलब्ध स्वीकृत राशि को दृष्टिपथ में रखते हुए जिलों को किस्तों में व्यय हेतु लिमिट राशि आवंटित किया जायेगा। लेकिन लिमिट राशि का आवंटन एवं व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रहेगा।

15. साथ ही, जिलों को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा। इस के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

16. प्रस्तावित इस देयता (Liability) योजना का क्रियान्वयन तत्समय निर्गत राज्यादेश में निहित प्रावधान के तहत की जाएगी।

17. योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी तथा योजना का क्रियान्वयन 2025–26 तथा आगामी वर्षो में भी किया जाएगा।

18. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययंन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

19. इस योजनान्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेन्सी (Implementing Agency) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

21. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

22. निदेशक, मत्स्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/ 2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

23. यह स्कीम एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 10.00 करोड़ कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6) 11/2020 के पृष्ठ–98/टि०, दिनांक–16.05.2025.

24. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)11/2020 के पृष्ठ–99/टि० एवं डायरी क्रमांक–249, दिनांक–19.05.2025.

25. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

21/5/25

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

(अनुलग्नक–I)

2025–26

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण के चतुर्थ किस्त PFMS linked SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से संचालित धनराशि के लिए वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी / व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड	विषय शीर्ष	व्यय हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
(क)	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष –0219–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405001010219 **(केन्द्रांश),** पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3890 **(अन्य श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान क्रमशः 40, 60, 60 एवं 60 प्रतिशत)**	0219–33.01–सब्सिडी	233.500	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार, (सभी)।
	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष –0219–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405001010219 **(केन्द्रांश),** पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3890	0219–31. 06–सहायक अनुदान गैर वेतन	75.000		
	योग (क)–		308.500		
(ख)	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष–0319–नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405001010319 **(राज्यांश),** पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3890 **(अन्य श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान क्रमशः 40, 60, 60 एवं 60 प्रतिशत)**	0319–33.01–सब्सिडी	155.67		
	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष–0319–नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405001010319 (राज्यांश), पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3890	0319–31. 06–सहायक अनुदान गैर वेतन	50.000		
	योग (ख)–		205.670		
	कुल योग (केन्द्रांश)– (क)		308.500		
	कुल योग (राज्यांश)– (ख)		205.670		
	महायोग (केन्द्रांश + राज्यांश)		514.170		
	(पाँच करोड़ चौदह लाख सतरह हजार मात्र)				

2256
22/05/25

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–II

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनार्गत बिहार राज्य के लिए स्वीकृत अवयवों की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	कुल राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभुक का अंशदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन (सं0)	6	25	150.00	42.00	28.00	80.00
2	रियरिंग तालाब का निर्माण (हे0)	250	7	1,750.00	508.20	338.80	903.00
3	नया तालाब का निर्माण (हे0)	200	7	1,400.00	406.56	271.04	722.40
4	इनपुट योजना (हे0)	200	4	800.00	232.32	154.88	412.80
5	बॉयोफ्लोक तालाब का निर्माण (हे0)	50	14	700.00	203.28	135.52	361.20
6	जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन (प्रति हे0 1000 अंगुलिकाएँ 3 रूपये प्रति अंगुलिका के दर से) (हे0)	1000	0.03	30.00	8.71	5.81	15.48
7	आर्द्रभूमि में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन (प्रति हे0 1000 अंगुलिकाएँ 3 रूपये प्रति अंगुलिका के दर से) (हे0)	400	0.03	12.00	3.48	2.32	6.19
8	अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई (सं0)	12	3	36.00	10.80	7.20	18.00
9	मध्यम आकार का अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई (सं0)	10	8	80.00	23.04	15.36	41.60
10	समेकित अलंकारी मछलियों की इकाई (सं0)	2	25	50.00	15.00	10.00	25.00
11	लघु आकार के आर0ए0एस0 का अधिष्ठापन (100 घन मी0 का 1 टैंक) (सं0)	10	7.5	75.00	21.60	14.40	39.00
12	मत्स्य पालन हेतु लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी0 व्यास का 7 टैंक, ऊ0 1.5 मी0) (सं0)	15	7.5	112.50	32.40	21.60	58.50
13	जलाशय/आर्द्रभूमि में केज का अधिष्ठापन (सं0)	200	3	600.00	174.24	116.16	309.60
14	आईस–प्लांट/कोल्डस्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 10 मैट्रिक टन) (सं0)	10	36.5	365.00	105.12	70.08	189.80
15	आईस–प्लांट/कोल्डस्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 20 मैट्रिक टन) एक टन के ब्लास्ट फ्रीज़र सहित (सं0)	2	80	160.00	48.00	32.00	80.00
16	रेफ्रिजेरेटेड वाहन (सं0)	10	25	250.00	72.00	48.00	130.00
17	मोटरसाईकिल आईस–बॉक्स सहित (सं0)	300	0.75	225.00	65.34	43.56	116.10
18	तीन पहिया वाहन/ई–रिक्शा आईस–बॉक्स सहित (सं0)	100	3	300.00	87.12	58.08	154.80
19	साईकिल आईस–बॉक्स सहित (सं0)	500	0.1	50.00	14.52	9.68	25.80
20	इनसुलेटेड वाहन (सं0)	5	20	100.00	28.80	19.20	52.00
21	जिन्दा मछली बिक्रय केन्द्र का निर्माण (सं0)	1	20	20.00	4.80	3.20	12.00
22	लघु फीडमील (क्षमता 2 टन प्रतिदिन) (सं0)	4	30	120.00	36.00	24.00	60.00
23	मध्यम फीडमील (क्षमता 8 टन प्रतिदिन) (सं0)	2	100	200.00	60.00	40.00	100.00
24	बृहद फीडमील (क्षमता 20 टन प्रतिदिन) (सं0)	2	200	400.00	120.00	80.00	200.00
25	बृहद फीडमील (क्षमता 100 टन प्रतिदिन) (सं0)	2	650	1,300.00	390.00	260.00	650.00
26	फिश किऑस्क का निर्माण (एक्वेरियम एवं अलंकारी मछली सहित) (सं0)	10	10	100.00	28.80	19.20	52.00
27	मोबाईल फिश किऑस्क (सं0)	10	10	100.00	28.80	19.20	52.00
28	ई–प्लेटफॉर्म (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के ई–ट्रेडिंग एवंई–मार्केटिंग हेतु) (सं0)	1	10	10.00	2.40	1.60	6.00
29	प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र) (सं0)	10	25	250.00	72.00	48.00	130.00
योग (1–29)				**9,745.50**	**2,845.34**	**1,896.89**	**5,003.27**
30	ब्रूड बैंक का अधिष्ठापन (सं0)	1	500	500.00	300.00	200.00	-
31	एक्वेटिक रेफरल लैब्स (सं0)	1	455	455.00	273.00	182.00	-
योग (30–31)				**955.00**	**573.00**	**382.00**	-
कुल योग (1–31)				**10,700.50**	**3,418.34**	**2,278.89**	**5,003.27**

2250
27/05/25

31/5/25
सरकार के अपर सचिव